

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1963]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2014/आश्विन 2, 1936

No. 1963]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2014/ASVINA 2, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2014

का. आ. 2485(अ).—जबकि सरमेट के उपयोग से मनुष्यों और जीव-जन्तुओं को खतरा होने की संभावना है क्योंकि अधिकतम अवशिष्ट सीमा (एमआरएल) को नियत करने के लिए आवश्यक आकड़े के अभाव में उनकी सुरक्षा पूरी तरह से सुव्यवस्थित नहीं की जा सकती है;

और केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा 14 नवंबर, 2012 को सरमेट रजिस्ट्रीकर्ता से जो कि गेहूं, आलू और मूंगफली में उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत है के रजिस्ट्रीकर्ता से विनिर्माण या आयात और उसकी अधिकतम अवशिष्ट सीमा (एमआरएल) को नियत करने की वर्तमान स्थिति देने की मांग की एक लोक सूचना जारी की है;

और उक्त सूचना की तीस दिन की नियत अवधि के भीतर कोई रजिस्ट्रीकर्ता सरमेट के विवरण देने के लिए आगे नहीं आया है;

और रजिस्ट्रीकरण समिति ने सरमेट को उपयोग से हटाने का विनिश्चय किया है क्योंकि दावाकर्ता उक्त सूचना के जवाब में आगे नहीं आया है;

और केन्द्रीय सरकार ने रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श के पश्चात् और संतुष्ट होकर सरमेट के लिए सभी रजिस्ट्रीकर्ताओं को प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करने का विनिश्चय किया है;

अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरमेट के सभी रजिस्ट्रीकर्ताओं को प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द करती है ।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. 13034/8/2013-पीपी I]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)

ORDER

New Delhi, 24th September, 2014

S.O. 2485(E).— Whereas, the use of Sirmate is likely to cause risk to human beings and animals as their safety cannot be fully established for want of data necessary to fix Maximum Residue Limits, (MRL) ;

And Whereas, a public notice was issued by the Central Insecticides Board and Registration Committee on the 14th November, 2012 asking the registrants of Sirmate which is registered for use in wheat, potato and peanut of furnish the current status of manufacture or import and data for fixation of Maximum Residue Limit (MRL) thereof;

And whereas, no registrants has come forward for giving details of Sirmate within the stipulated period of thirty days of the said notice;

And whereas, the Registration Committee decided to withdraw the use of Sirmate as no claimant came forward in response to the public notice;

And whereas, the Central Government, on being satisfied and after consultation with the Registration Committee, decided to cancel the certificate of registration granted for Sirmate to all registrants;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with Section 27 read with Section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby cancels the certificate of registration granted for Sirmate to all registrants.

2. This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 13034/8/2013-PP.I]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.